न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 24/2021
GCMS No-2021/82

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली हाल बांसवाडा		1. श्यामलाल पुत्र सीताराम वैष्णव, मैसर्स रिंग लिडर रेस्टोरेन्ट, मिडवे के पास, नेशनल हाईवे–14 बर, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्रीमती सपना वैष्णव।

–: निर्णय :–

दिनांक 10.03.22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पदस्थापित में पदस्थापित है। दिनांक 03.09.2020 को दौराने गश्त मैसर्स रिंग लिडर रेस्टोरेन्ट मिडवे के पास नेशनल हाईवे–14 बर, पाली पर गए। फर्म पर अप्रार्थी श्यामलाल उपस्थित मिला तथा वहां पर ब्रेड के 06 पैकेट थे, जो आमजन को बिक्री हेतु रखे हुए थे, जिसमें मिलावट का शक हुआ, तब मौके पर प्रपत्र 5 ए भरकर रूबरू गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर तैयार किया गया। उक्त ब्रेड के पैकेट में से चार पैकेट ब्रेड वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा ब्रेड को चार भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–1092 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रमांक एल.एस./409/एक्ट/2020/409 दिनांक 17.09.2020 में प्रार्थी द्वारा लिया गया ब्रेड का नमूना Sub Standrad पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub Standrad ब्रेड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस एवं लिखित जवाब में निवेदन किया कि अप्रार्थी की फर्म पर रखा गया ब्रेड का नमूना जो जाचं हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया था उसमें विधिवत प्रक्रिया की पालना नही की गई है। साथ ही अप्रार्थी की फर्म से जाचं हेतु लिया गया ब्रेड का उत्पादन प्रार्थी की फर्म द्वारा नही किया गया है। इसलिए अप्रार्थी को दोषमुक्त मानकर उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण निस्तारण करने के आदेश प्रदान करावें।

हमने अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.09.2020 को दौराने गस्त अप्राथीगण की फर्म पर गया तो, वहां पर श्यामलाल उपस्थित मिले। प्रार्थी ने विक्रेता

अति. जिला कलेक्टर, पाली

एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5–ए भरकर दिया तथा उनकी उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.09.2020 को अप्रार्थी की फर्म में विक्रय हेतु रखे हुए ब्रेड के चार पैकेट वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा ब्रेड को चार भागों में विभक्त कर, लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–1092 अंकित करके सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रमांक एल.एस. /409/एक्ट/2020/409 दिनांक 17.09.2020 में प्रार्थी द्वारा लिया गया ब्रेड Sub Standrad माना गया। इस प्रकार अप्रार्थी की फर्म से पाया गया ब्रेड जो Sub Standrad पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub Standrad खाद्य वस्तु ब्रेड का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 10.03.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली